संख्या- 1144/2026/323/22-2-2026-17(72)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2026

विषय:- जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजय शुक्ला पुत्र स्व0 राम समुझ शुक्ला, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजय शुक्ला पुत्र स्व0 राम समुझ शुक्ला, दक्षिण पुरवा मौजा सरैया, थाना-परसपुर, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2020 को वादी व स्वयं की माता से शराब पीने के लिए पैसे मागने एवं गेहूँ की बोरी बेंचने का विरोध करने पर अपनी माँ को लाठी डंडे से मार पीट कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-705/2020 में धारा-304, आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० द्वितीय, गोण्डा के आदेश दिनांक 09.09.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा 05 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2020 को वादी व स्वयं की माता से शराब पीने के लिए पैसे मागने एवं गेहूँ की बोरी बेंचने का विरोध करने पर अपनी माँ को लाठी डंडे

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

से मार पीट कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय शुक्ला पुत्र स्व० राम समुझ शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजय शुक्ला (बन्दी संख्या-3096/2024) पुत्र स्व0 राम समुझ शुक्ला, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1144/2026/323(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- अधीक्षक, जिला कारागार गोण्डा।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 1144/2026/323/22-2-2026-17(72)/2026

दिनांक: 25 अगस्त, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजय शुक्ला पुत्र स्व0 राम समुझ शुक्ला, दक्षिण पुरवा मौजा सरैया, थाना-परसपुर, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2020 को वादी व स्वयं की माता से शराब पीने के लिए पैसे मागने एवं गेहूँ की बोरी बेंचने का विरोध करने पर अपनी माँ को लाठी डंडे से मार पीट कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-705/2020 में धारा-304, आई॰पी॰सी॰ के अन्तर्गत मा॰ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ॰टी॰सी॰ द्वितीय, गोण्डा के आदेश दिनांक 09.09.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा॰ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा 05 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2020 को वादी व स्वयं की माता से शराब पीने के लिए पैसे मागने एवं गेहूँ की बोरी बेंचने का विरोध करने पर अपनी माँ को लाठी डंडे से मार पीट कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय शुक्ला पुत्र स्व॰ राम समुझ शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।